फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

सुरेन्द्रपाल बनाम बलराम

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 56 सन–2019

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
5.2019	प्रार्थी की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 35/81 की कुल 10.6260हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से गेरसायल संख्या 1 के नाम 165–1/3 हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 14.08.2019 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
14/8/19	~~न्यायालय अधिकारी मदन मोहन आगे उपस्थित अपील निषेध बिना की तीन पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो चुका व लम्बित प्रार्थना पत्र वापिस फरमाया जावे।~~ ~~अपील के प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता व पत्रावली अभिलेख दफ्तर हो~~ आगे बारे इजलास सुनाया जाया।	मैं प्रार्थी प्रा. पत्र वापिस करवाना चाहता हूँ. सुरेन्द्रपाल Identified by B.

Scanned with CamScanner